"प्रपत्र सं आइएनसी 26"
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार प्रादेशिक निदेशक
के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और
हिमानी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : हाऊस नं.–18, ब्लॉक–2, लैन्डमार्क एनए, सिंगल स्टोरी, रमेश नगर नई दिल्ली–110015 में स्थित है
.....याचिकाकर्ता

सूचना

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 25 मार्च, 2022 को आयोजित असाधारण सामान्य अभिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के संघम ज्ञापन मे संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

हिमानी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : हाऊस नं.–18, ब्लॉक–2, लैन्डमार्क एनए, सिंगल स्टोरी, रमेश नगर नई दिल्ली–110015
के लिए और निदेशक मंडल की और से
हिमानी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./–
तिथि : 19.04.2022 सरब जीत सिंह
स्थान : नई दिल्ली निदेशक
डीआईएन : 00282588

फॉर्म स0. आईएनसी–26
(कंपनीज़ (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार)
केंद्रीय सरकार के समक्ष, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनीज़ (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामलें में
तथा
आईडीपी एजुकेशन एग्जाम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में बीसी एग्जामिनेशन्स एंड इंग्लिश सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (CIN: U80301HR2006PTC057821) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं0. 401–405, चौथी मंजिल, ग्लोबल गेटवे टावर्स, टावर–बी, सिकंदरपुर घोसी, सेक्टर–26 एम.जी. रोड, गुरूग्राम, हरियाणा–122002 में है के मामलें में .....**आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता**

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"हरियाणा राज्य"** से **"दिल्ली राज्य"** में स्थानान्तरित करने के सक्षम बनाने हेतु कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत **सोमवार, 28 मार्च, 2022** को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो **वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, बी–2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003** को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के निम्नलिखित पते पर भेजी जानी चाहिए:
यूनिट नं0. 401–405, चौथी मंजिल, ग्लोबल गेटवे टावर्स, टावर–बी, सिकंदरपुर घोसी, सेक्टर–26 एम.जी. रोड, गुरूग्राम, हरियाणा–122002

कृते और आवेदक की ओर से
आईडीपी एजुकेशन एग्जाम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
(पूर्व में बीसी एग्जामिनेशन्स एंड इंग्लिश सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
हस्ता/–
रूपेश शर्मा
स्थानः गुडगाँव निदेशक
तिथिः 19.04.2022 DIN: 09527968

फॉर्म नं. 3
(देखें विनियम– 15(1)(ए)/16(3)
ऋण वसूली अधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
प्रथम तल, एससीओ 33–34–35, सैक्टर–17ए, चंडीगढ़
(तीसरे एवं चौथे तल पर अतिरिक्त स्थान आबंटित)
केस नं. ओए/475/2021 ईएक्सएच नं. 6841
ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उप नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अंतर्गत समन
केनरा बैंक (सिंडिकेट बैंक)
बनाम
मैसर्स शिवम इंटरप्राइजेज

सेवा में,
1. मैसर्स शिवम इंटरप्राइजेज डी/डब्ल्यू/एस/ओ–श्री शिव नाथ सिंह मार्फत इसके मालिक श्री शिव नाथ सिंह निवासी मकान नं. 1008/79, गली नं. 52, सैक्टर–23, संजय कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा–121004
2. श्री शिवा नाथ सिंह पुत्र श्री महाकंठ सिंह, मकान नं. 1008/79, गली नं. 52, सैक्टर–23, संजय कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा–121004
3. श्री बी पी सिंह पुत्र श्री महाकंठ सिंह, मकान नं. 1008/79, गली नं. 52, सैक्टर–23, संजय कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा–121004

समन
चूंकि, ओए/475/2021 माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 04.04.2022 को सूचीबद्ध थी।
चूंकि इस माननीय अधिकरण ने रु. 34,29,135.93 (चौतीस लाख उनतीस हजार एक सौ पैतीस रुपए एवं तिरानबे पैसे) के ऋण की वसूली के लिए आपके विरूद्ध ऋण की वसूली एवं अधिनियम, (ओए) की धारा 19(4) के अधीन कथित आवेदन में ऋण राशि जमा न करने पर आपके खिलाफ समन/सूचना जारी की जाती है। (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न)।
कथित अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुपालन में प्रतिवादी को निम्नलिखित के निर्देश दिये जाते हैं:
1. समन जारी करने के तीस दिनों के भीतर कारण बताना होगा कि क्यों छूट नहीं दी जानी चाहिए।
2. मूल आवेदन के क्र.सं. 3ए के अंतर्गत आवेदन द्वारा विनिर्देशित सम्पत्तियों या सम्पत्तियों के अलावा परिसम्पत्तियों का विवरण प्रकटित करना होगा।
3. आपको प्रतिभूत सम्पत्ति या मूल आवेदन के क्रम सं. 3ए मे वर्णित सम्पत्ति का सम्पत्ति के कब्जे के लिए आवेदन के निपटान और सुनवाई तक सम्पत्ति के किसी भी लेनदेन से प्रतिबंधित किया जाता है ।
4. आप अधिकरण की अनुमति के बिना मूल आवेदन के क्रम सं. 3ए में वर्णित सम्पत्ति और सम्पत्ति के अलावा परिसम्पत्तियों को किसी भी सामान्य कारोबार के लिए बिक्री, पट्टा या अंतरित नहीं कर पायेंगे।
5. आप प्रतिभूत परिसम्पत्तियों और सम्पत्ति के अलावा बंधक सम्पत्ति के ऊपर बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा धारित बिक्री प्रक्रिया के माध्यम से सामान्य कारोबार के संबंध में ऐसे परिसम्पत्तियों की बिक्री प्रक्रिया के माध्यम से वसूली न करने के भी उत्तरदायी होंगे।
आपको निर्देश दिया जाता है कि आप लिखित विवरण दर्ज कराएं और रजिस्ट्रार के समक्ष 12.09.2022 को प्रातः 10.30 बजे उपस्थित हो और ऐसा नही करने पर आवेदन पर एकतरफा कार्यवाही करके निर्णय लिया जाएगा।
आज मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मोहर के साथ 11.04.2022 को जारी किया गया।

(जय सिंह)
रजिस्ट्रार आई/सी
डीआरटी–2, चंडीगढ़

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालयः अति मुख्य अभियंता (एम)–10
इंजीनियर्स भवन, 2रा तल, एन्ड्रूजगंज, मूल चंद क्रॉसिंग के निकट,
नई दिल्ली–110049, मेल : acem10.djb@gmail.com
संक्षिप्त निविदा सूचना सं. 6/एसीई (एम–10)/ईई(टी) एम–10/2022–23
प्रेस निविदा

क्रम सं.	कार्य का विवरण	आरक्षित मूल्य	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा डाउनलोड एवं आरटीजीएस की अंतिम तिथि/समय
1	ईई(एम)–50 के अंतर्गत नाला में सीवेज के प्रवाह को रोकने के लिये त्रिवेणी मार्केट शेख सराय फेज–I में सीवर लाइन का पी/एल	3350725/–	2022_DJB_220666_1 18.4.2022	30.4.2022 के 2.00 बजे अप. तक
2	वार्ड नं. 89 एस, एसी–51, कालकाजी में मैन मार्केट गढ़ी में पुराने/क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों का विस्थापन	3964256/–	2022_DJB_220666_2 18.4.2022	30.4.2022 के 2.00 बजे अप. तक
3	एसी–51, कालकाजी में गोविन्द पुरी में गली नं. 1 से मैन सीवर लाइन तक सीवरेज का डायवर्जन।	3137467/–	2022_DJB_220666_3 18.4.2022	30.4.2022 के 2.00 बजे अप. तक
4	एसी–51, कालकाजी में वार्ड नं. 90 एस तथा 91 एस दि.ज.बो. द्वारा नजदीकी वाटर लाइन से वैयक्तिक मकान तक घरेलू जल के कनेक्शन का प्रावधान	4946116/–	2022_DJB_220666_4 18.4.2022	30.4.2022 के 2.00 बजे अप. तक

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट **https://govtprocurement.delhi.gov.in** पर देखें।
हस्ता/–
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी (बी.एन.गुप्ता)
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 41 (2022–23) कार्यपालक अभियंता (टी)एम–10
''कोरोना रोकें: मास्क पहनें, शारीरिक दूरी का पालन करें, हाथों को स्वच्छ रखें''

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ई-आन्ध्रा बैंक),
एसपीएल हाउसिंग फाइनांस शाखा,
सेक.–44, नोएडा–201301
कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3, 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना धारा 13(2) के अंतर्गत 20.09.2021 को जारी कर ऋणधारकः **मै. पी. के. प्रिन्टिग प्रैस, 2रा तल, जगराम पैलेस, अट्टा मार्केट, सेक्टर–27, नोएडा, गौतम बुध नगर–201301 (उ.प्र.) प्रॉप्राइटर श्री प्रमोद कुमार चौधरी, 43 सी, ईडब्ल्यूएस, श्रमिक कुंज, सेक्टर–66, नोएडा, गौतमबुध नगर–201301 (उ.प्र.) गारंटर श्रीमती वीना चौधरी 43 सी, ईडब्ल्यूएस, श्रमिक कुंज, सेक्टर–66, नोएडा, गौतमबुध नगर–201301 (उ.प्र.)** को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि कुल **रु. 25, 93, 288.34 (रु. पच्चीस लाख तिड़ानवे हजार दो सौ अठासी एवं पैसे चौंतीस मात्र)** के साथ स्वीकृत ब्याज दर पर ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गारंटर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 13 अप्रैल, 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. **रु. 25, 93, 288.34 (रु. पच्चीस लाख तिड़ानवे हजार दो सौ अठासी एवं पैसे चौंतीस मात्र)** के साथ उस पर उपचायित ब्याज के लिये **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ई–आन्ध्रा बैंक)**, एसपीएल हाउसिंग फाइनांस शाखा, सेक.–44, नोएडा–201301 के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

क) 43 सी, ईडब्ल्यूएस, श्रमिक कुंज, सेक्टर–66, नोएडा, गौतमबुध नगर–201301 (उ.प्र.) में स्थित श्री प्रमोद चौधरी (सम्पत्ति के स्वामी) के स्वामित्व की भूमि एवं भवन आवासीय
ख) 47–ए, भू तल, ब्लाक श्रमिक कुंज, सेक्टर–66, नोएडा, गौतमबुध नगर–201301 (उ.प्र.) में स्थित श्री प्रमोद चौधरी (सम्पत्ति के स्वामी) के स्वामित्व की भूमि एवं भवन आवासीय

तिथि: 13.04.2022, स्थान: नोएडा प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

HCL TECHNOLOGIES LIMITED
Registered Office: 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi – 110 019
Corporate Office: Plot No. 3A, Sector 126, Noida-201 304, U.P., India
Corporate Identity Number: L74140DL1991PLC046369
Telephone: +91 11 26436336; Website: www.hcltech.com
Email Id: Investors@hcl.com

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that the following equity share certificate(s) issued by the Company are stated to have been lost and the Company will proceed to cancel the lost share certificate(s) and issue duplicate share(s) in dematerialized form in lieu thereof:

Name of the Shareholder			Folio No.	Certificate No.	Distinctive No.	Face Value	No. of shares
First Shareholder	Joint Holder 1	Joint Holder 2					
Harsha Bharat Bhatt	--	--	0007625	400076	1428216873 to 1428217072	Rs 2/-	200
Lilavati Ramniklal Sanghavi	Hemant Ramniklal Sanghavi	--	0058796	400786	1428410640 to 1428410755	Rs 2/-	116
Vijay Kumar Gupta	--	--	0202994	289187	325646555 to 325646556	Rs 2/-	2
Vijay Kumar Gupta	Monika Gupta	Neha Gupta	0203035	289208	325646970 to 325646971	Rs 2/-	2
Vijay Kumar Gupta	Monika Gupta	Neha Gupta	0203035	402174	1428567712 to 1428567713	Rs 2/-	2
Vijay Kumar Gupta	Neha Gupta	Archana Gupta	0203037	289210	325646974 to 325646974	Rs 2/-	1
Vijay Kumar Gupta	Neha Gupta	Archana Gupta	0203037	402176	1428567716 to 1428567716	Rs 2/-	1
Vijay Kumar Gupta	Renu Gupta	Archana Gupta	0202884	289132	325645439 to 325645440	Rs 2/-	2
Vijay Kumar Gupta	Ajay Gupta	Renu Gupta	0203312	289360	325649918 to 325649919	Rs 2/-	2
Girish Fulchand	Jayagauri Fulchand	--	0204819	304819	289037924 to 289037956	Rs 2/-	33
Girish Fulchand	Jayagauri Fulchand	--	0204819	402654	1428610817 to 1428610849	Rs 2/-	33
Ramanlal Laxmichand Shah	--	--	0205418	305418	289081339 to 289081349	Rs 2/-	11

Any person(s) who has/have any claim(s) in respect of the said share certificate(s) should lodge such claim(s) with the Company or its Registrar & Shares Transfer Agent, along with sufficient proof, within 15 days of publication of this notice, after which no claim(s) shall be entertained, and the Company will proceed to issue duplicate shares in dematerialized form. The public is hereby warned against purchasing or dealing in any way with the above share certificate(s). Any person dealing with the above share certificate(s) shall be doing so solely at his/her own risk as to costs and consequences and the Company shall not be responsible for it in any manner whatsoever.

Our Transfer Agent
Link Intime India Private Limited
(Unit: HCL Technologies Limited)
C-101, 247 Park, L.B.S. Marg,
Vikhroli (West), Mumbai, Maharashtra - 400 083
E-mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

For **HCL Technologies Limited**
Manish Anand
Company Secretary
Date: April 19, 2022
Place: Noida (U.P.)

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी की सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके पश्चात ''अधिनियम'') के तहत आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का इण्डिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल–एचएफएल) कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 98, फेज–IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम–122015, (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय : प्लॉट नं. 30/30ई, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मेन शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शोरूम के बगल में, मोती नगर, नई दिल्ली के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री। जैसा कि आईआईएफएल एचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी (''एओ'') ने आईआईएफएल–एचएफएल के बकायों की वसूली के लिए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी सूचना के अनुसार निम्नलिखित ऋण खातों/प्रॉस्पेक्ट सं. में यहाँ नीचे उल्लिखित सम्पत्ति का ''जहाँ है जैसे है'' तथा ''जो है यही है'' आधार पर बिक्री करने के अधिकार सहित कब्जा कर लिया था। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट www.bankeauctions.com पर प्रावधानित ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।

कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम	माँग सूचना की तिथि तथा राशि	अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति का विवरण	भौतिक कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि
1. श्री राहुल गुप्ता 2. श्री शानू (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10027348)	4–अक्टू.–2021 रु. 28,06,226/– (रुपये अट्ठाईस लाख छः हजार दो सौ छब्बीस मात्र) संविदा वृद्धि राशि रु. 40,000/– (रुपये चालीस हजार मात्र)	सम्पत्ति तृतीय तल, निजी सं. 301, छत के अधिकार सहित, सम्पत्ति सं. आरजेड–एफ–9/1, क्षेत्रफल माप 75 वर्ग गज, खसरा नं. 83/16 में से, महावीर एन्कलेव, ग्राम पालम, नई दिल्ली–110045	4–अप्रैल–2022 तिथि तक कुल बकाया 05–अप्रैल–2022 रु. 28,83,396/– (रुपये अट्ठाईस लाख तिरासी हजार तीन सौ छियानबे मात्र)	रु. 26,61,800/– (रुपये छब्बीस लाख इकसठ हजार आठ सौ मात्र) जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 2,66,180/– (रुपये दो लाख छियासठ हजार एक सौ अस्सी मात्र)	20–मई–2022 1100 बजे–1400 बजे ईएमडी की अन्तिम तिथि 23–मई–2022 को 5 बजे अप. ई–नीलामी की तिथि/समय 25–मई–2022 1100 बजे–1300 बजे
1. श्री मोहम्मद 2. मोहम्मद जाहिद सिद्दीकी टायर पंक्चर 3. श्रीमती मुसर्रत (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10098098)	05–अक्टू.–2021 रु. 10,87,847/– (रुपये दस लाख सत्तासी हजार आठ सौ सैंतालीस मात्र) संविदा वृद्धि राशि रु. 25,000/– (रुपये पच्चीस हजार मात्र)	सम्पत्ति डी.डी.ए. फ्लैट नं. 40, माप 47.79 वर्ग मीटर (प्लिंथ एरिया) 7वीं मंजिल, पॉकेट–1ए, ब्लॉक–ए7, सेक्टर ए1–4, नरेला, नई दिल्ली–110040	06–अप्रैल–2022 तिथि तक कुल बकाया 07–अप्रैल–2022 रु. 11,66,155/– (रुपये ग्यारह लाख छियासठ हजार एक सौ पचपन मात्र)	रु. 11,10,300/– (रुपये ग्यारह लाख दस हजार तीन सौ मात्र) जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 1,11,030 /– (रुपये एक लाख ग्यारह हजार तीस मात्र)	20–मई–2022 1100 बजे–1400 बजे ईएमडी की अन्तिम तिथि 23–मई–2022 को 5 बजे अप. ई–नीलामी की तिथि/समय 25–मई–2022 1100 बजे–1300 बजे

भुगतान का माध्यम : सभी भुगतान ''आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड'' के पक्ष में गुरुग्राम में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा या आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम किये जाने हैं। खाता विवरण निम्नवत हैं : (क) खाते का नाम : आईआईएफएल हो फाइनेंस लिमिटेड, (ख) बैंक का नाम : स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड, (ग) खाता नं. 53105066294, (घ) आईएफएससी कोड : SCBL0036025 या पेमेंट लिंक : https://quickpay.iiflfinance.com के माध्यम से।

नियम एवं शर्तें :
1. ई–नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक संविदाकारों को अग्रिम में ही सेवा प्रदाता https://www.bankeauctions.com के साथ अपने विवरण पंजीकृत कराने होंगे और लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड सृजित करना होगा। इच्छुक संविदाकारों को अपने ''निविदा प्रपत्र'' ईएमडी के प्रति भुगतान, केवाईसी तथा पैन कार्ड की प्रति के साथ उपर्युक्त शाखा कार्यालय पर जमा करना/भेजना होगा।
2. संविदाकार अपने प्रस्ताव ''संविदा वृद्धि राशि'' के कॉलम के तहत उल्लिखित राशि के गुणक में बढ़ायेंगे। यदि संविदा नीलामी बन्द होने के समय के अन्तिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः ही 5 मिनट आगे बढ़ जायेगा।
3. सफल संविदाकार को एओ द्वारा संविदा मूल्य की स्वीकृति के 24 घण्टे के भीतर संविदा राशि का 25% (ईएमडी के समायोजन के बाद) जमा करना होगा और संविदा राशि का शेष 75% प्रतिभूत लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। सभी जमा राशियां तथा भुगतान निर्धारित भुगतान माध्यम में करने होंगे।
4. क्रेता को सेस, प्रयोज्य स्टाम्प शुल्क, शुल्क एवं अन्य विधिक देयताओं अथवा सम्पत्ति से सम्बन्धित अन्य सभी देयताओं जैसे निगम कर, बिजली के प्रभार, भूमि एवं अन्य आकस्मिक लागतों, प्रभारों तथा सभी करों एवं दरों, बाह्य व्ययों का वहन करना होगा।
5. संविदाकारों को ई–नीलामी बिक्री कार्यवाहियों में भाग लेने हेतु अपनी संविदाएं जमा करने से पूर्व नीलामी बिक्री तथा नीलामी आवेदन प्रपत्र के विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु वेबसाइट https://bankeauctions.com तथा https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखने का परामर्श दिया जाता है।
6. अधिक विवरण, सहायता प्रक्रिया तथा ई–नीलामी पर प्रशिक्षण के लिए संभावित संविदाकार सेवा प्रदाता से ई–मेल आईडी : support@bankeauctions.com, सपोर्ट हेल्पलाइन नम्बर : 7291981124/25/26 तथा सम्पत्ति से सम्बन्धित पूछताछ के लिए श्री संजय कुमार, मोबाइल : 9643304680, ई–मेल आईडी : kumarsanjay@ llfl.com से सम्पर्क कर सकते हैं।
7. एतद्वारा उपर्युक्त कथित कर्जदारों को भौतिक कब्जा लेते समय 7 दिनों के भीतर प्रतिभूत आस्ति पर पड़ी हुई वस्तुएं हटाने की सूचना दी जाती है अन्यथा आईआईएफएल–एचएफएल इन परिस्थितियों में सम्पत्ति के किसी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
8. एतद्वारा कर्जदारों को सूचना दी जाती है कि यदि वे उपर्युक्त कथित वस्तुएँ हटाने में असफल रहते हैं तो इसे कानून के अनुसार बेच दिया जायेगा।
9. यदि उपर्युक्त निर्धारित समय के भीतर सफल संविदाकार/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी चरण में भुगतान में चूक होती है तो बिक्री निरस्त हो जायेगी और पहले से अदा की गयी राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जायेगी तथा सम्पत्ति को पुनः बिक्री पर रखा जायेगा।
10. एओ को बिना कोई कारण बताइए निविदा/नीलामी के नियम एवं शर्तों को स्थगित/निरस्त अथवा परिवर्तित करने का अधिकार है। यदि निविदा/नीलामी में कोई विवाद होता है तो आईआईएफएल–एचएफएल के एओ का निर्णय अन्तिम होगा।

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत 30 दिवसीय विधिक बिक्री सूचना
एतद्वारा कर्जदार को निविदा/नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित उपर्युक्त राशि का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागत सहित वसूल किया जायेगा।

स्थान : दिल्ली, तिथि : 18 अप्रैल, 2022 ह./– अधिकृत प्राधिकारी कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

रिचफील्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
CIN: L65999WB1992PLC055224
पंजीकृत कार्यालयः 2बी, ग्रांट लेन, दूसरी मंजिल, कोलकाता– 700012
ईमेलः rfsl.nbfc@gmail.com; फोन नंबरः 0484–4821119

कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड से रिचफील्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की स्वैच्छिक डीलिस्टिंग की सूचना

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021, यथा संशोधित ('डीलिस्टिंग विनियम') के विनियम 5 के साथ पठित विनियम 6 के अनुसार रिचफील्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (कंपनी) के निदेशक मंडल ने 13 अप्रैल, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ–साथ, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (सीएसई) से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वैच्छिक रूप से हटाने को मंजूरी प्रदान कर दी है।

स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां से इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग करने का इरादा है: कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (सीएसई)।

डीलिस्टिंग का कारण: कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सीएसई और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) पर सूचीबद्ध हैं। पिछले कई वर्षों से सीएसई पर इक्विटी शेयरों के लिए कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। इस प्रकार, कंपनी के शेयरधारकों को चलनिधि का कोई लाभ उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, कंपनी हर साल लिस्टिंग शुल्क और अन्य वैधानिक अनुपालनों के लिए महत्वपूर्ण लागत वहन करती है। इसलिए, निदेशक मंडल का मानना है कि सीएसई से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग करना कंपनी, उसके शेयरधारकों और व्यापार सहयोगियों के सर्वोत्तम हित में होगा।

राष्ट्रव्यापी ट्रेडिंग टर्मिनल वाले स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग की निरंतरताः डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 5 के अनुसार, सार्वजनिक शेयरधारकों को बाहर निकलने का कोई अवसर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपनी के इक्विटी शेयर राष्ट्रव्यापी ट्रेडिंग टर्मिनल वाले एक्सचेंज होने के नाते बीएसई लिमिटेड (बीएसई) पर सूचीबद्ध रहेंगे। कंपनी के शेयरधारक बीएसई पर सूचीबद्ध होने का लाभ प्राप्त करना जारी रखेंगे।

कंपनी डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 5 और 6 के अनुसार सीएसई से अपने इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग के लिए सीएसई को एक आवेदन करेगी।

कृते रिचफील्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
स्थानः कोलकाता हस्ता/– (प्रियंका कालरा)
दिनांकः 19 अप्रैल, 2022 कंपनी सचिव

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स मकाला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय इंडियाबुल्स हाउस, प्लॉट 448–451, उद्योग विहार फेज V, गुरुग्राम, हरियाणा में है, को डीटीसीपी द्वारा सेक्टर 103, गुरुग्राम, 'ग्राम दौलताबाद भूमि क्षेत्र – 40//11/2/2 (1–12), 12/1/2(1–5), 18/2(0–7), 19(6–12), 22(8–0) कुल 17 कनाल–16 मरला (2.225 एकड़)' 2.225 एकड़ के क्षेत्र में एक वाणिज्यिक कॉलोनी स्थापित करने के लिए लाइसेंस संख्या 2014 का 147 दिनांक 03.09.2014 को जारी किया गया था और मेमो नंबर एलसी–2654/सहायक (एके)/2020/8180/दिनांक 15.05.2020 के माध्यम से नवीनीकृत किया गया था, ने पिरामिड प्रॉपमोटो एलएलपी के नाम जिसका पंजी. कार्यालय यूनिट नंबर 131, पहली मंजिल, वाटिका टॉवर–ए, वजीराबाद, सेक्टर–54, गोल्फ कोर्स रोड, गुरुग्राम–122001 है, के नाम लाइसेंस का हस्तांतरण और डेवलपर का परिवर्तन के लिए किया है।

और जबकि कार्यालय निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन, हरियाणा ने मेमो नं. एलसी– 2654/जेई(डीएस)/ 2022/10435 दिनांक 18.04.2022 के द्वारा हमें लाइसेंस के हस्तांतरण और डेवलपर परिवर्तन के संबंध में, आपत्तियां यदि कोई हो, आमंत्रित करने का निर्देश दिया है।

इस प्रकार, किसी भी संस्था/व्यक्ति को लाइसेंस के प्रस्तावित हस्तांतरण और डेवलपर कंपनी के परिवर्तन पर किसी को काई भी आपत्ति या दावा हो तो वह, इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में, वरिष्ठ टाउन प्लानर (एसटीपी), एचएसवीपी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर –14, गुरुग्राम, हरियाणा 122001 के कार्यालय में प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकते हैं।